



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 311 राँची, मंगलवार, 15 वैशाख, 1942 (श०)
5 मई, 2020 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

अधिसूचना
4 मई, 2020

संचिका सं.-05/गृ.का.आ.प्र.(सूखा)-10/2019-628/आ.प्र.,-- वर्ष 2019 में मॉनसून का आगमन विलम्ब (21 जून) से हुआ। मौसम विज्ञान केन्द्र (IMD), राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जून 2019 से 1 अगस्त 2019 तक सामान्य 530.6 मि.मी. के विरुद्ध 333.6 मि.मी. वर्षा हुई है जो सामान्य से - 37 % कम (Deficit) है। प्रारंभ में वर्षा की कमी के कारण कई प्रखण्डों में खरीफ फसल की रोपनी/बोआई लक्ष्य से कम हुई है। जिन क्षेत्रों में रोपनी/बोआई की गई है, वहाँ भी अल्प वर्षापात के कारण फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

2. Mahalanobis National Crop Forecast Center (MNCFC), कृषि, सहकारिता एवं कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा 30 अगस्त 2019 Remote Sensing/Satellite Data के आधार पर Agricultural Drought Assessment 2019 में झारखण्ड राज्य के एक जिला-बोकारो को Severe category एवं 09 जिलों यथा-चतरा, देवघर, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, एवं पाकुड़ को Moderate category में सूखाग्रस्त चिन्हित किया गया है। इस क्रम में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा सभी प्रखण्डों में स्थापित वर्षा मापक यंत्र से लिये गये Daily Rainfall Data Collection के आधार पर सबसे अधिक Negative Rainfall Deficit वाले तीन जिले - राँची, लातेहार एवं दुमका को सुखाड़ क्षेत्र चिन्हित करने हेतु विभागीय पत्रांक-831 दिनांक-04.10.2019 द्वारा कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि

भवन नई दिल्ली, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है, परन्तु इन जिलों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किये जाने के संबंध में सूचना अप्राप्त है।

3. MNCFC द्वारा सूखाग्रस्त चिह्नित सभी 10 जिलों से प्रखण्डवार Ground Truthing Verification प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है, जिसके अनुसार Severe एवं Moderate प्रखण्डों की विवरणी निम्नवत् है:-

Sl. No.	Name of the Districts	STATUS of Ground Truthing		Total Blocks (3+4)	No. of Blocks to be Proposed for Drought Declaration
		SEVERE Blocks	MODERATE Blocks		
1	2	3	4	5	6
1	Bokaro	Chandrapura, Kasmar, Jaridih, Gomia, Bermo, Chas, Petarwar, Nawadih, Chandankiyari	-	09	09
2	Chatra	-	Kanhachatti, Itkhori, Lawalaung, Hunterganj	04	04
3	Pakur	-	Pakur, Hiranpur, Amrapara, Maheshpur, Pakuriya & Littipara	06	06
4	Deoghar	-	Deoghar, Devipur, Darwon, Madhupur, Margomunda, Mohanpur, Palojori, Sarwan, Sarath, Sonarithari	10	10
5	Garhwa	NIL	NIL	00	00
6	Giridih	Jamua	Dumri, Bengabad	03	03
7	Godda	Gooda, Basntrai, Pathargama, Boarijore, Mahgama	Poraiyahat, Sundarpahari	07	07
8	Hazaribagh	Katkamsandi, Barhi.	Hazaribagh, Ichak, Katkamdag, Keredari, Chalkusha, Barkagaon, Padma, Barkatha, Tatijhariya, Bishnugarh, Chouparan, Churchu, Daru, Dari	16	16
9	Jamtara	NIL	NIL	00	00
10	Koderma	NIL	NIL	00	00
Total		17	38	55	55

4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न निर्णय लिये जाते हैं-

- (i) Mahalanobis National Crop Forecast Center (MNCFC), कृषि, सहकारिता एवं कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा 30 अगस्त 2019 Remote Sensing/Satellite Data के आधार पर Agricultural Drought Assessment 2019 में झारखण्ड राज्य के एक जिला-बोकारो को Severe category एवं 09 जिलों यथा - चतरा, देवघर, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, एवं पाकुड़ को Moderate category के सूखाग्रस्त चिन्हित किया गया है। इन जिलों से Ground Truthing verification प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है जिसके आधार पर 07 जिलों - बोकारो, चतरा, पाकुड़, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा एवं हजारीबाग के कुल 55 प्रखण्डों (17 Severe प्रखण्ड एवं 38 Moderate प्रखण्ड) को अंतिम रूप से सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है।
- (ii) भारत सरकार को राज्य में उपरोक्त वर्णित 07 जिलों के कुल 55 प्रखण्डों (17 Severe प्रखण्ड एवं 38 Moderate प्रखण्ड) को सूखाग्रस्त घोषित होने के उपरांत केन्द्रीय सहायता हेतु निर्धारित समय अवधि में Memorandum प्रेषित किया जाय।
- (iii) भारत सरकार को केन्द्रीय दल के क्षेत्र भ्रमण हेतु अनुरोध किया जाय।
- (iv) अधिसूचित सूखाग्रस्त जिलों के वर्णित प्रखण्डों में सुखाड़ से हुए क्षति का मुआवजा/राहत भारत सरकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF)/ राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मद एवं मापदण्डों के अनुरूप देय होगा।

5. उक्त प्रस्ताव विभागीय संलेख जापांक-319 दिनांक-11.04.2020 के आलोक में मंत्रिपरिषद् की दिनांक-13.04.2020 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या-07 के रूप में स्वीकृत की गयी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।
